चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 20.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को जनपद में सकुशल शांतिपूर्ण एवं सुचितापूर्ण व नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों केंद्र व्यवस्थापकों एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा ने केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि जनपद चित्रकूट में गत वर्षो में भी आप लोगों द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई गई है बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च 2024तक संपन्न कराई जाएगी परीक्षाएं प्रथम पाली में प्रातः 8 बजे से 11:45 बजे तक एवं द्वितीय पाली में अपरान्ह 2 बजे से 5:15 बजे तक संपन्न कराई जाएगी जनपद में कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हाई स्कूल में 14177 परीक्षार्थी एवं इंटरमीडिएट में 9948 परीक्षार्थी, कुल 24125 परीक्षार्थी शामिल होंगे पांच सचल दल का गठन किया गया है इसके अलावा केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर जोनल व स्टेटिक

मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वॉड भी लगाए गए हैं तथा जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में की गई है, जिसके प्रभारी अधिकारी/ अपर उप जिलाधिकारी मोहम्मद जसीम है, कंट्रोल रूम का नंबर-9838593195 है। जिलाधिकारी ने सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों व स्टेटिक मजिस्ट्रेटों, केंद्र व्यवस्थापकों , वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षा संपन्न होगी कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की टॉप टेन पर यह बोर्ड परीक्षा है बोर्ड परीक्षा नकलबिहीन संपन्न कराना हम आप सभी का दायित्व है सभी केंद्र व्यवस्थापक स्टेटिक मजिस्ट्रेट सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट आज की बैठक में प्रतिभाग किया है अभी आप लोगों ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एवं पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में सकुशल संपन्न कराई है, उन्होंने स्टेटिक मजिस्ट्रेटों से कहा की परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे अगर कोई समस्या है तो एक दिन पूर्व ही अवगत कराएंगे और परीक्षा के दौरान मुख्यालय पर ही रहे यह आप लोग सुनिश्चित करें, प्रत्येक दशा में हम लोगों को जनपद में बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन, सुचितापूर्ण संपन्न कराना है। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा संचालित रहे डीवीआर सही तरह से चले इसका आप विशेष ध्यान दें इसके अलावा शौचालय प्रकाश व्यवस्था पेयजल फर्नीचर बाउंड्री वॉल बैठने की समुचित व्यवस्था कराया जाए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि पूर्व में ही सभी परीक्षा केंद्रों का आप लोग भ्रमण अवश्य कर ले, उन्होंने उप जिलाधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों से कहा कि अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी परीक्षा केंद्र के एक किलोमीटर के अंतर्गत फोटोकॉपी मशीन संचालन भी प्रतिबंधित है सुरक्षा कर्मियों के अलावा शस्त्र केंद्रों पर अंदर ले जाना वर्जित है, परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन कैलकुलेटर आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्णतया प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि जो परीक्षा संपन्न कराने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसी के अनुसार परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना है उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए की परीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति निर्वाध रूप से संचालित रहे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि विद्यालयों पर जो चौकीदार नियुक्त है उनका नाम मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन केंद्र व परीक्षा केंद्रों पर लाने के लिए भी पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है इसके अलावा सभी केंद्र व्यवस्थापक अपने-अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों से भी मुख्य प्रश्न पत्र की जिस दिन परीक्षा हो उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के लिए भी वार्ता करें।

सहायक शिक्षा निदेशक प्रयागराज/ बोर्ड पर्यवेक्षक चित्रकूट श्री बलिराज राम ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों , वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों एवं बोर्ड परीक्षा में लगे अधिकारियों से कहा कि जो बोर्ड द्वारा परीक्षा को संपन्न कराने के लिए निर्देशिका दी गई है उसमें क्या करें क्या ना करें उसका अच्छी तरह से अध्ययन अवश्य करें ताकि परीक्षा के दौरान कोई समस्या ना हो।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बंदिता श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मानिकपुर श्री राम जन्म यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय सहित संबंधित अधिकारी एवं केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।

(4). आज दिनाँक-20.02.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में में तहसील सभागार मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उप जिलाधिकारी मानिकपुर श्री रामजन्म यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, प्रभागीय वनाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर श्रीमती रीता सिंह, थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह तथा पुलिस एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन मेंथाना राजापुर पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के वांछित व एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार द्वारा मु0अ0सं0 16/24 धारा 363,366ए,376 भादवि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना राजापुर चित्रकूट के अभियुक्त शारदा उर्फ परनवा पुत्र मुन्ना निवासी कुसैली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(ख). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी शिवप्रसाद द्वारा मु0अ0सं0 289/16 धारा 279,337 भादवि के वारंटी अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र हुब्बा निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहतों/गुमशुदा के बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 94/2024 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.02.2024 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनकी नाबालिग पुत्री को रामा उर्फ रामभजन पुत्र संतोष निवासी चमड़ा मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 94/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम रामा उर्फ रामभजन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा बालिका की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय को लगाया गया। उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुये अभियुक्त रामा उर्फ रामभजन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अपहृता की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। बरामद अपहृता को बाल संरक्षा इकाई के समक्ष परिजनों के सुपुर्द की गयी। बालिका को पाकर परिजनों के चेहरे की मुस्कान वापस लौटी तथा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुये सराहना की ।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2. आऱक्षी मोहित कुमार
3. महिला आरक्षी अंजली देवी

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा कस्बा सरैंया स्थित मोबाइल की दुकान में हुयी चोरी के घटना का सफल अनावरण हुये 01 बाल अपचोरी को चोरी के 04 मोबाइल, 04 चार्जर, 04 बैट्री व 01 सीएफएल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.02.2024 को वादी श्री मनोज कुमार यादव पुत्र श्री कमलेश निवासी बाई का कुंआ मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी कि दिनांक 16/17.02.2024 की रात्रि में सरैयां बाजार स्थित मेरी मोबाइल की दुकान की शटर का ताला तोड़कर 04 मोबाइल,04 चार्जर, 04 बैटरी नए आइटेल कंपनी के अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए हैं। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0स0 25/2024 धारा 457,380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। घटना के अनावरण हेतु चौकी प्रभारी सरैंया द्वारा सुरागरसी-पतारसी से विवेचना से प्रकाश में आये बाल अपचारी को आज दिनांक 20.02.2024 को चोरी के 04 मोबाइल, 04चार्जर, 04 बैट्री नए आइटेल कम्पनी के एवम 01सीएफएल एलईडी बल्ब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

चोरी के 04 मोबाइल,04 चार्जर, 04 बैट्री व 01 सीएफएल बल्ब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह
2. आरक्षी मनोज कुमार
3. आरक्षी अनुज द्विवेदी

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 960/2017 धारा 354(क)-1,363,511 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त रवि केवट पुत्र मंगी केवट निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 03.11.2017 को वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अभियुक्त रवि केवट उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 960/2017 धारा 354(क)-1,363,511 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी तथा दिनाँक 01.01.2028 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा सीआईसी में हुये ब्लास्ट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मुअ0सं0 120/2024 धारा 286,336,338,304 भादवि व 3(ख)/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के नामजद अभियुक्त हर्ष कामदार पुत्र नीलेश कामदार निवासी 701 प्रेम स्मृति रोड नं0-06 राजावड़ी गार्डन गाट ओवर थाना तिलक नगर ईस्ट मुम्बई व पंकज जाट पुत्र रमेश जाट निवासी 316 बी, चौहरी पार्क मूसागढ़ी थाना आजाद नगर इंदौर म0प्र0 को बाद विवेचना पूछातछ एवं साक्ष्यों के क्रम में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री अंशुल कुमार
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी
4. आरक्षी मोहित कुमार

(10). *प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस*
माननीय न्यायालय द्वारा पशु चोरी एवं पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपी अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 3050-3050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी हरेंद्र यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2019 धारा 379,411 भादवि0 तथा मु0अ0सं0 87/2019 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.अशोक पुत्र सोदई 2. राजेंद्र पुत्र भोलई आदिवासी निवासीगण हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 3. छोटेलाल बसोर पुत्र कुसुम बसोर निवासी ललई थाना बरगढ़ 4. मोहम्मद इमरान पुत्र रफाऊद्दीन निवासी कोहोडिया थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज 5. मोहम्मद गुलशेर पुत्र इरमाइल निवासी कटरा थाना घूरपुर प्रयागराज 6.

अल्ताफ अहमद पुत्र अबरार निवासी कस्बा खीरी थाना खीरी 7. मोहम्मद नसीम पुत्र मोहर्रम निवासी हसीगन थाना घूरपुर प्रयागराज 8. संजय आदिवासी पुत्र बड़कू निवासी मुरका निवासी बरगढ़ जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 87/2019 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के जेल में बिताई गई अवधि 50-50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 02.09.2019 को वादी श्री पप्पू आदिवासी पुत्र रामबदन आदिवासी निवासी बोझ फार्म थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि उनकी तथा उनके पडोसियों की भैंसे उपरोक्त चोरों ने चोर कर हैं। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में थाना मु0अ0सं0 86/2019 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री मान सिंह द्वारा पिकअप वाहन संख्या यू0पी0 70 डी0टी0 0638 में 03 अदद भैस,02 अदद पडिया व 01 अदद पड़वा का मुह बांधकर ले जाते हुए पकड़ा गया था जिससे मु0अ0स0 86/2019 में धारा 411 भादवि0 की बढोतरी की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 87/2019 धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा गया था तथा तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी दिनाँक 06.11.2019 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

(11). आज दिनाँक 20.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना मारकुण्डी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कक्ष, बंदीगृह, मालखाना, प्रभारी निरीक्षक कक्ष, आवासीय परिसर का भ्रमण थानाध्यक्ष मारकुण्डी को रजिस्टरों को अद्यवधिक रखने तथा थाना परिसर की साफ-सफाई, पोताई व कार्यालयों मे टाइल्स लगवाने,ए0एस0 चेकिंग व इण्डेक्स तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।